राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : F. 34(10) EDU-1/ Miscelleneous/2024-24927-6599233 जयपुर, दिनांक :

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय – अन्तर्राष्ट्रीय एवं खेलकूद सम्बन्धी जानकारी हो तथा उनमें पढने के प्रति आदत का विकास हो, इस समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को पत्र जारी कर प्रार्थना सभा में 10 मिनट का समाचार पत्र वाचन करवाये जाने के निम्नानुसार निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 02 अखबार (01 अंग्रेजी एवं 01 हिन्दी भाषा का) मंगवाये जावे।
2. प्रत्येक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 02 अखबार हिन्दी भाषा के मंगवाये जावे।
3. अंग्रेजी माध्यम के समस्त राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम 02 अखबार (01 अंग्रेजी एवं 01 हिन्दी भाषा का) मंगवाये जावे।
4. प्रार्थना सभा के दौरान 01 अग्रेजी के व 01 हिन्दी के राष्ट्रीय स्तर के अखबार का वाचन कराया जावे। इस समयावधि के दौरान कक्षावार विद्यार्थियों का समूह बनाकर, उनसे राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और खेल समाचारो के प्रमुख संपादकीय और प्रमुख समाचार घटनाक्रम पढाये जावे।
5. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और खेल समाचारो के प्रमुख संपादकीय और प्रमुख समाचारों के लिए 6 से 12 की कक्षाओं के विभिन्न विद्यार्थियों को दायित्व दिया जावे।
6. जिस कक्षा के विद्यार्थियों को समाचार पढाना है, उस दिन उस कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय समय से 30 मिनट पूर्व विद्यालय में आकर अखबारों से महत्वपूर्ण समाचारों का संकलन कर वाचन की तैयारी करेंगे।
7. अखबार से प्रतिदिन 05 नये शब्दों को भी छांटकर प्रार्थना सभा में बतायेंगे, जिससे विद्यार्थियों की शब्दावली में सुधार होगा। यह पहल छात्रों के सामान्य ज्ञान शब्दावली, सामाजिक जागरूकता में सुधार करेगी बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेगी।
8. No Bag Day के दिन सामूहिक सभा आयोजित कर सत्ता की गतिविधियों पर चर्चा करवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2025.12.31 14:43:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19651251

9. Reading and Remediation कैम्पेन के अन्तर्गत पहले 02 कालांशों में पढने हेतु रखा गया है, उनमें समाचार पत्र पठन, वर्तनी, एवं श्रुतिलेख की कार्यवाही की जावे।

10. विद्यालयों में अखबार विद्यालय संचालन की स्थिति में ही मंगवाये जावे।

11. राजकीय विद्यालयों में समाचार पत्रों के लिए आवश्यक राशि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,
(ओ.पी. वर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि समाचार पत्रों के क्रय हेतु विद्यालयवार बजट राशि आवंटन करवाने की कार्यवाही करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, (आयोजना) विभाग।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, विभाग।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2025.12.31 14:43:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19651251